समाचार.प्रकाषनार्थरू.

कार्य में देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

ढिलाई बरतने पर कार्तिकेयन कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध एक लाख रुपैया पेनल्टी

अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम कार्यों की समीक्षा की

रतलाम 1 मई । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम द्वारा नगर में नागरिकों के हित में किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर कार्यों में देरीए समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदारों को फटकार लगाई तथा हद से भी ज्यादा ढिलाई बरतने पर ठेकेदार अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन राहुल पाटीदार को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए साथ ही कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन चंदन ठेकेदार पर एक लाख रूपये की पेनल्टी लगाई। कलेक्टर द्वारा नगर निगम के इंजीनियरों द्वारा ढीली.ढाली मॉनिटरिंग पर भी सख्त नाराजगी व्यक्त की।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि ठेकेदार अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा सेठ जी का बाजार में सीसी रोड नाली पेवर ब्लॉक इत्यादि 50 लाख की लागत के निर्माण कार्यों में अत्याधिक देरी की जा रही हैए कलेक्टर ने कहा कि अनावश्यक देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने ठेकेदार को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। संबंधित ठेकेदार नगर निगम ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी कार्य नहीं कर पाएगा।

इसी प्रकार कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन द्वारा भी कार्य नहीं करने पर उसके विरुद्ध एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए कलेक्टर ने निगमायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि ठेकेदार की क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए यदि वह कार्य नहीं कर पाता है तो शहर का नुकसान होता है बाजार क्षेत्र में कार्यों में देरी से व्यापारी परेशान होते है। समीक्षा में देखने में आया कि कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन का टर्नओवर

70 लॉख रुपए का है परंतु उसके पास दो करोड़ रुपए के कार्य हैं उसकी क्षमता से ज्यादा कार्य उसको दिए गए हैं कलेक्टर ने यह भी कहा कि ठेकेदार द्वारा टेंडर होते ही कार्य शुरू कर देना चाहिए।

आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ठेकेदार द्वारा बताया गया कि शहर में सड़क निर्माण के दौरान ट्रैफिक संबंधी समस्या आने से उसके कार्य में देरी हुई है इस पर कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हे नियोजित ढंग से कार्य करना आना चाहिए यदि ट्रैफिक की समस्या है तो ट्रैफिक डीएसपी के साथ समन्वय रखकर नियोजित ढंग से योजना तैयार की जाना चाहिए व जरूरत पड़ने पर रात्रि में भी कार्य किया जाना चाहिए।

कलेक्टर ने ठेकेदारों को स्पष्ट कहा कि वे अपनी क्षमता अनुसार ही काम का ठेका ले कार्तिकेय कंस्ट्रक्शन कहा कि जब आपके द्वारा अधिक कार्य कर पाना संभव नहीं है तो ठेका क्यों लिया है इस दौरान कलेक्टर द्वारा जीतश्री एंड छाजेड़ कंस्ट्रक्शन द्वारा अच्छा कार्य किए जाने पर उसकी सराहना भी की गई कलेक्टर ने सभी इंजीनियर को भी निर्देशित किया कि लापरवाही बंद करें समय सीमा में काम पूर्ण करने का ख्याल रखें इसके साथ ही ठेकेदारों द्वारा कंस्ट्रक्शन सामग्री की बढ़ती कीमतों का ध्यान आकर्षित करने पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को एस्टीमेट पुनरीक्षित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने स्वच्छता अभियान की भी समीक्षा की स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नागरिक फीडबैक के बारे में जानकारी प्राप्त की इसके अलावा शहर में पेयजल व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निगमायुक्त श्री सोमनाथ झरिया द्वारा कार्य प्रगति की जानकारी में बताया गया कि सुयोग परिसर में पीएमवाय बिलिं्डग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसी प्रकार पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी निर्माण और यू शेप ड्रेन निर्माण पूरा कर लिया गया हैएअन्य पूर्ण कार्यों में मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़कए रॉकेट

लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माणए इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण एडोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी और यू शेप ड्रेन निर्माणए अंबे माता चौक से राधा कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिलिं्डग तक डामरीकरण सड़क निर्माण तथा चांदमारी से रेलवे हॉस्पिटल तक डामरीकरण कार्य शामिल है।
बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए अनवर कुरेषीए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए सहायक वर्ग.3 श्री कैलाष गेहलोत सहित ठेकेदार उपस्थित थे।

मजदूर दिवस पर निगम के सफाई मित्रो का हुआ सम्मान

रतलाम 1 मई । नगर को साफ व स्वच्छ बनाने के महत्वपूर्ण कार्य में लगे नगर निगम के सफाई संरक्षकों का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने 01 मई विष्व मजदूर दिवस पर नगर निगम सभागृह में पुश्पहार व षाल पहनाकर उनका सम्मान कर उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रषंसा की।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि 1 मई 1886 को अमेरिका में आंदोलन की शुरूआत हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर सड़कों पर आ गए थे और वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने लगे। इस तरह के आंदोलन का कारण था काम के घंटे क्योंकि मजदूरों से दिन के 15.15 घंटे काम लिया जाता था। आंदोलन के बीच में मजदूरों पर पुलिस ने गोली चला दी और कई मजदूरों की जान चली गई। वहीं 100 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए। इस आंदोलन के तीन साल बाद 1889 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई। जिसमे तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। अमेरिका में भले ही 1 मई 1889 को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव आ गया हो। लेकिन भारत में ये आया करीब 34 साल बाद। भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई से मजदूर दिवस मनाने की शुरूआत हुई।

उन्होने बताया कि 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाने का उद्धेश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना है।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए जीण्केण् जायसवालए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण् सिंहए प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेषीए निजी सहायक श्री सुभाश गोयलए झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहानए पर्वत हाड़ेए विनय चौहानए धर्मेन्द्र दोगाया के अलावा सर्वश्री कमल भाटीए विजय खरेए अषोक हाड़ेए कमल षिन्देए संजय पैमालए राम कल्याणेए मुकेष खरेए राजू कल्याणेए ष्याम छपरी सहित सफाई मित्र उपस्थित थे।

नेषनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करो की बकाया राषि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 29 अप्रैल । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु आज ़14 मई 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2021.22 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14ध्05ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

कचराए गंदंगी व अतिक्रमण करने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 1 मई । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है

जिसके तहत 1 मई को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही काकाश्री फुटवियर को सील किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कचरा एवं गंदगी करने पर गंगा कैफेए कटारिया ड्रेसए योगेन्द्रसिंहए हरिलालए मोहम्मद षामीए गोवर्धनए अतुलए मंगल पर 500.500ए निर्मलए अनिल पर 300.300ए राहूल पर 250ए संदीप व कैलाष पर 200.200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगीए अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

रात्रिकालिन सफाई के 13 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 1 मई । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 30 अप्रैल षनिवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 13 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

30 अप्रैल षनिवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी दीपक.पूनमचन्दए राजा. कैलाषए पंकज.फिरोजए नवीन.फिरोजए विनोद.हीरालालए दीपक.रतनलालए विकास. कैलाषए रवि.उंकारए विषाल.कैलाषए राकेष.रमेषए गौरव.राजेन्द्रए संतोश.प्रभुदयालए संदीप.संजय बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 1 मई । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।
कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 1 मई । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें
रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 1 मई । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेª षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेª षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान

तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 1 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को

निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 1 मई। स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्01ण्05ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलाम